संख्या-21/2026/63/60-1-2026

सी-1706042

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 08 अप्रैल, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संस्थानों/गृहों का संचालन के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-13/निदे0म0क0/लेखा-बजट-वि0स्वी0/2026-27, दिनांक 02.04.2026 के सन्दर्भ में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में पूर्णतया राज्य पोषित अधिष्ठान व्यय हेतु लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-13-संस्थानों/गृहों का संचालन हेतु प्राविधानित कुल धनराशि रू0 95,71,41,000/- के सापेक्ष प्रथम छमाही हेतु रू0 47,85,70,500/- (रुपये सैंतालीस करोड़ पचासी लाख सत्तर हजार पाँच सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये निदेशक, महिला कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(5) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि के उपयोग में निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(8) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं है, जिन मामलों में उ0प्र0, बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(9) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग GFR व समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों/आदेशों के अनुसार समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(11) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा स्वीकृत धनराशि वित्तीय नियमों के अन्तर्गत परीक्षण करते हुये स्थानान्तरित की जायेगी।

(12) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

(13) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि व्यय लोकहित में है और व्यय पर प्रभावी नियंत्रण किया जायेगा तथा आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण एवं मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी निदेशालय, महिला कल्याण का होगा। किसी भी विचलन की स्थिति में वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	01 वेतन	25,00,00,000 (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र)
2	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	02 मजदूरी	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
3	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	03 मंहगाई भत्ता	16,25,00,000 (रुपये सोलह करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
4	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	04 यात्रा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
5	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
6	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	06 अन्य भत्ते	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
7	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	07 मानदेय	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
8	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	08 कार्यालय व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
9	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	09 विद्युत देय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
10	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	10 जलकर / जल प्रभार	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
11	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	11 लेखन सामग्री और	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

			फार्मों की छपाई	
12	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
13	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	13 टेलीफोन पर व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
14	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	8,25,000 (रुपये आठ लाख पच्चीस हजार मात्र)
15	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	8,25,000 (रुपये आठ लाख पच्चीस हजार मात्र)
16	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)
17	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	29 अनुरक्षण	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
18	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	39 औषधि तथा रसायन	11,33,000 (रुपये ग्यारह लाख तैंतीस हजार मात्र)
19	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	41 भोजन व्यय	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
20	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	42 अन्य व्यय	19,25,000 (रुपये उन्नीस लाख पच्चीस हजार मात्र)
21	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)
22	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा	28,500 (रुपये अट्ठाईस हजार पाँच

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

			एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	सौ मात्र)
23	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	45 अवकाश यात्रा व्यय	75,000 (रुपये पचहत्तर हजार मात्र)
24	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	49 चिकित्सा व्यय	37,50,000 (रुपये सैंतीस लाख पचास हजार मात्र)
25	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	51 वर्दी व्यय	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
26	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	55 मकान किराया भत्ता	1,92,59,000 (रुपये एक करोड़ बानबे लाख उनसठ हजार मात्र)
27	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
	महायोग			47,85,70,500 (रुपये सैंतालीस करोड़ पचासी लाख सत्तर हजार पाँच सौ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।